



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127880

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20074/2026

रीमा देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता: अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, देवोत्तम पांडे

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह जमानत मुकदमा अपराध सं. 75/2026 अन्तर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना- पिपीगंज, जिला- गोरखपुर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों, अखिलेश और कमलेश को इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14765/2026 में 12.06.2026 के आदेश से जमानत दे दी थी। जमानत के उस आदेश की कॉपी आवेदक के अधिवक्ता ने पेश की है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है। आवेदक का मामला उन सह-आरोपियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 04.03.2026 से जेल में है।
4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों, अखिलेश और कमलेश को इस न्यायालय की समतुल्य पीठ ने जमानत दे दी थी।
5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों - अखिलेश और कमलेश - को इस न्यायालय समतुल्य पीठ ने ज़मानत दे दी है और उस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और साथ ही आवेदक 04.03.2026 से जेल में बंद है, इसलिए मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है।

7. ज़मानत की आवेदन स्वीकार की जाती है।

8. आवेदक - **रीमा देवी**, जो ऊपर बताए गए मुकदमा/अपराध में शामिल हैं, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे नीचे दी गई शर्तों का पालन करें। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने की तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा/करेगी। अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक उस उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार भा.दं.सं. की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) वाद की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण जज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून 2026/कीर्ति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”